25.08.2022	पत्रावली लोक अदालत की बैंच संख्या एक से प्राप्त होकर आज पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से पक्षकारान द्वारा लोक अदालत की बैंच संख्या एक के समक्ष लिखित में राजीनामा पेश कर व्यक्त किया कि प्रार्थी ने दिनांक 29.06.2022 को ग्राम पंचायत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त सम्पत्ति गांव नई झाडौली में सिवेरा रोड पर स्थित अपने कब्जेशुदा दुकानों की भूमि (नाप 150 फीट बाय 15 फीट कुल 2250 वर्गफीट) का पट्टा वर्तमान डी.एल.सी. दर (वाणिज्यिक) पर जारी करने हेतु निवेदन किया था, जिस पर ग्राम पंचायत की सामान्य बैठक के प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 05.07.2022 को सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया गया है कि श्री मानसिंह चौहान द्वारा उक्त सम्पत्ति की निर्धारित बाजार दर (वाणिज्यिक) ग्राम पंचायत में जमा करवाने पर ग्राम पंचायत द्वारा श्री मानसिह चौहान के हक में पट्टा जारी कर देगी। जिस पर प्रार्थी श्री मानसिंह चौहान उक्त सम्पत्ति की डी.एल.सी. दर से राशि ग्राम पंचायत कोष में जमा करवाने हेतु तैयार है। ग्राम पंचायत से श्री मानसिह चौहान के हक में पट्टा जारी होने तक ग्राम पंचायत प्रार्थी को वादग्रस्त सम्पत्ति से बेदखल करने की कार्यवाही नहीं करेगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जरिए लोक अदालत की बैंच संख्या एक के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत झाडौली के आदेश क्रमांक/प/2021–22/140 दिनांक 28.06.2021 को निरस्त किया जाकर प्रकरण को पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा अनुसार निस्तारण किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। Bhalla (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर,सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:29:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner